भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1480
जिसका उत्तर मंगलवार 25 जुलाई, 2017 को दिया जाना है

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोटा यूनिट को बंद किया जाना

1480. श्री एम बी राजेश:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोटा यूनिट को बंद करने और केरल की राज्य सरकार द्वारा पलक्कड़ यूनिट के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिग्रहण की प्रक्रिया के अंतर्गत पलक्कड़ यूनिट के कर्मचारियों की मजदूरी संशोधन से संबंधित मुद्दे को सुलझा लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पलक्कड़ यूनिट के अधिग्रहण से केरल की राज्य सरकार को कोई वित्तीय बोझ उठाना पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) : इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोटा यूनिट को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार वीआरएस/वीएसएस के तहत कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया गया है। एमएसटीसी के माध्यम से चल अस्तियों तथा एनबीसीसी के माध्यम से अचल अस्तियों की बिक्री की जा रही है। भारत सरकार तथा केरल सरकार के बीच बातचीत चल रही है। आईएलपी का अधिग्रहण करने की पद्धति के बारे में निर्णय लेने के लिए भारी उद्योग विभाग तथा केरल सरकार के अधिकारियों के बीच दिनांक 27.12.2016, 11.01.2017 और 31.05.2017 को बैठके आयोजित की गई हैं।

(ग) : मजदूरी संशोधन लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के उपबंधों के अनुसार किया गया है।

(घ) और (ङ) : जैसा कि उपर्युक्त (क) और (ख) में बताया गया है, पलक्कड़ यूनिट का अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किए जाने की पद्धति के बारे में निर्णय लेने के मामले में केरल सरकार तथा भारी उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है।

*****